आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति अपीलवाद सं0–15/2022

कुमारी सुनीता चन्द्र राव

बनाम

रम्भा कुमारी एवं अन्य

आदेश

01.04.2024

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 7511/2021 में दिनांक 23.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित हैः–

".....in case the petitioner files appropriate representation/revision before the concerned Divisional Commissioner within a period of four weeks from today, the same shall be considered on merits and disposed off within a further period of eight weeks thereafter."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु यह है कि जिला–गोपालगंज अन्तर्गत, प्रखंड–थावे, पंचायत एकडेरवाँ, रोस्टर बिन्दु–661 हेतु अपीलार्थी कुमारी सुनीता चन्द्र राव, पिता–रामपुकार सिंह, विपक्षी सं0–05, रम्भा कुमारी, पति–संतोष प्रसाद सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची का निर्माण किया गया, जिसमें अपीलार्थी कुमारी सुनीता चन्द्र राव, पिता–रामपुकार सिंह, क्र0सं0–01 पर तथा विपक्षी सं0–05, रम्भा कुमारी, पति–संतोष प्रसाद, क्र0 सं0–03 पर रही थी। औपबंधिक मेधा सूची पर प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें विपक्षी सं0–05 रम्भा कुमारी क्र0 सं0–01 पर तथा अपीलार्थी कुमारी सुनीता चन्द्र राव को द्वितीय स्थान पर रखा गया। क्र0 सं0– 01 पर रहने के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) द्वारा विपक्षी सं0–05 के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी।

जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति), गोपालगंज के उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 7511/2021 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 23.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्तओं को विस्तारपूर्वक सुना।

Scanned with CamScanner

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि औपबंधिक वरीयता सूची के अवलोकन में विपक्षी सं0-05 की उम्र, मैट्रिक प्राप्तांक वादी से कम है। साथ ही विपक्षी के पास कम्प्यूटर योग्यता एवं लगान रसीद भी नहीं है, परंतु इसके बावजूद त्रुटिपूर्ण ढंग से उनके पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी कहा गया कि उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता में विपक्षी के अंक प्रतिशत को गलत रूप से अधिक दिखाया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए त्रुटिपूर्ण ढंग से विपक्षी के चयन की अनुशंसा की गयी है, अतएव उसे निरस्त किया जाए तथा अपीलार्थी के चयन हेतु आदेश दिया जाय।

4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों में विपक्षी सर्वाधिक सुयोग्य अभ्यर्थी रही है। उनका कम्प्यूटर योग्यता एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंक भी अपीलार्थी से अधिक है। जहाँ तक गोदाम से संबंधित जमीन के लगान रसीद का सवाल है तो विपक्षी द्वारा गोदाम हेतु जिस जमीन का विवरण दिया गया था वह डीहवासगीत बेलगानी जमीन है, जिसका लगान रसीद नहीं होता है।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर समुचित विचार के पश्चात आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जाय।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1222/खाद्य पटना, दिनांक 08.03.2017, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक सं0-1750, दिनांक 10.03.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-963, दिनांक 20.01.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0-2342, दिनांक 15.02.2016 के प्रावधान के आलोक में गोपालगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड-थावे, पंचायत-एकडेरवाँ, आरक्षण कोटि-अनारक्षित (महिला), रोस्टर बिन्दु-661 के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अपीलार्थी कुमारी सुनिता चन्द्र राव, विपक्षी सं0-05, रम्भा कुमारी एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें अपीलार्थी सुनीता चन्द्र राव को क्र0 सं0-01 पर तथा विपक्षी सं0-05, रम्भा कुमारी को क्र0 सं0-05 पर रखा गया। औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए मेधा सूची पर दावा/आपत्ति की मांग की गयी। दावा आपत्ति निष्पादन के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची का निर्माण किया गया जिसमें विपक्षी सं0-05, रम्भा कुमारी को क्र0 सं0-01

Scanned with CamScanner

पर तथा अपीलार्थी सुनीता चन्द्र राव को क्र0 सं0-02 पर रखा गया। अंतिम मेधा सूची के क्र0 सं0-01 पर रहने के कारण रम्भा कुमारी के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर योग्यता के आधार पर उभय पक्ष की तुलना करते हुए बताया गया कि,

(i) अपीलार्थी कुमारी सुनीता चन्द्र राव का मैट्रिक प्राप्तांक प्रतिशत-53.11% (478/900), इन्टर में प्राप्तांक प्रतिशत 55.2% (276/500), कम्प्यूटर योग्यता -ADCA तथा जन्म तिथि- 15.05.1976 है।

(ii) विपक्षी सं0-05, रम्भा कुमारी का मैट्रिक प्राप्तांक प्रतिशत-52.14% (365/700), इन्टर में प्राप्तांक प्रतिशत-56.4% (282/500), कम्प्यूटर योग्यता-ADCA तथा जन्म तिथि 04.02.1991 है। विपक्षी के संबंध में अभियुक्ति कॉलम में **"स्वय सहायता समूह की सदस्य है"** अंकित किया गया है।

(7) विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि दोनों अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता (इन्टर) एवं कम्प्यूटर योग्यता (ADCA) समान है तथा अपीलार्थी कुमारी सुनीता चन्द्र राव की उम्र विपक्षी से अधिक है। दावा/आपत्ति के निष्पादन के पश्चात की वरीयता सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0-05, रम्भा कुमारी के 'स्वयं सहायता समूह की सदस्या' होने के आधार पर **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 8(1)** के आलोक में उन्हें प्राथमिकता दी गयी है।

(8) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। उक्त अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते है:-

(i) अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0-05, दोनो की उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता इन्टर है तथा दोनों के ही पास समान कम्प्यूटर योग्यता ADCA है। अपीलार्थी की जन्म तिथि दिनांक 15.05.1976 तथा विपक्षी की जन्म तिथि 04.02.1991 है।

उक्त स्थिति में **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(v)** में वर्णित प्रावधान कि *"उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा, परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को*

Scanned with CamScanner

प्राथमिकता दी जायेगी।" के आलोक में स्पष्टतः अपीलार्थी अधिक योग्य अभ्यर्थी है।

(ii) दावा/आपत्ति निष्पादन के पश्चात की वरीयता सूची में विपक्षी सं0-05 के कॉलम में *'स्वयं सहायता समूह की सदस्य है'* अंकित किया गया है। **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 8(1)** के अवलोकन में स्पष्ट होता है कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में 'स्वयं सहायता समूह' को प्राथमिकता दिया जाना है न कि उनके सदस्य को। ऐसे में विपक्षी को उक्त कंडिका में अंकित प्रावधान का लाभ दिया जाना नियमानुकूल नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रखंड-थावे, पंचायत-एकडेरवा, रोस्टर बिन्दु 661 पर विपक्षी, रम्भा कुमारी का नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु किए गए चयन को **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण (प्रणाली) नियंत्रण आदेश, 2016** के प्रावधानों के अनुरूप न पाते हुए उसे निरस्त किया जाता है। इस क्रम में अपीलार्थी श्रीमती कुमारी सुनीता चन्द्र राव द्वारा नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु वांछित अर्हता रखने के कारण उनके अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner